JHKH030023912025

न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

उपस्थित : विद्यावती कुमारी।

अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

निर्णय की तिथि : 21-07-2026

जिला : खूँटी।

जी0 आर0 संख्या 470/2025

तोरपा थाना कांड संख्या 69/2024

CNR No.-JHKH030023912025

राज्य सरकार द्वारा जितेश कुमार सिंह———————————————————सूचक।

बनाम्

1. विनोद तोपनो उर्फ डेविड, उम्र करीब 30 वर्ष, पे0 जोसेफ तोपनो, सा0 दारला, जामटोली, थाना मुरहू, जिला खूंटी।

2. पवन गोप, उम्र करीब 33 वर्ष, पे0 कृष्णा गोप, सा0 मन्दरू टोली, चिकोर, थाना खूंटी, जिला खूंटी।

3. भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया, उम्र करीब 31 वर्ष, पे0 सोमा मुण्डा, सा0 सिलदा, थाना खूंटी, जिला खूंटी———————————————————————————अभियुक्तगण।

अभियोजन पक्ष की ओर से :— श्री बरूणेय सिंह।
विद्वान सहायक लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष की ओर से :— श्री आर0 के0 जायसवाल।
श्री सुनील गंझू।
श्री विशाल कुमार पाण्डेय।
विद्वान अधिवक्तागण।

<u>अनुलग्नक - II</u>

घटना की तिथि	**28—11—2024**
प्राथमिकी की तिथि	**28—11—2024**
आरोप—पत्र की तिथि	**18—09—2025**
आरोप गठन की तिथि	**10—04—2026**
गवाही शुरु होने की तिथि	**23—04—2026**
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	**20—07—2026**
निर्णय की तिथि	**21—07—2026**
सजा की तिथि अगर हुई हो	**नहीं**

<u>अभियुक्तगण की विवरणी :</u>

क्रम सं0.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो धारा 428 Cr.P.C. हेतु
1.	**विनोद तोपनो उर्फ डेविड, उम्र करीब 30 वर्ष, पे0 जोसेफ तोपनो, सा0 दारला, जामटोली, थाना मुरहू, जिला खूंटी।**	**11—08—2025**	**10—12—2025**	**धारा—376(F), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।**	**रिहा**		
2.	**पवन गोप, उम्र करीब 33 वर्ष, पे0 कृष्णा गोप, सा0 मन्दरू टोली, चिकोर, थाना खूंटी, जिला खूंटी।**	**24—07—2025**	**न्यायिक अभिरक्षा में।**	**धारा—376(F), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।**	**रिहा**		
3.	**भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया, उम्र करीब 31 वर्ष, पे0 सोमा मुण्डा, सा0 सिलदा, थाना खूंटी, जिला खूंटी।**	**24—07—2025**	**30—03—2026**	**धारा—376(F), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।**	**रिहा**		

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन साक्षी

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	प्रेमचन्द टोप्पो	हवलदार
2	कार्तिक कुमार साहू	अन्य साक्षी
3	अब्दुल रेहमान	स्वतंत्र
4	जितेश कुमार सिंह	सूचक

ख. बचाव पक्ष के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

ग. न्यायालय के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

प्रदर्शों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन

क0 सं0	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या/चिन्ह
1	जप्ती सूची पर साक्षी प्रेमचन्द टोप्पो का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P-1/PW1**
2	जिम्मानामा पर साक्षी प्रेमचन्द टोप्पो का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P-2/PW1**
3	टंकित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।	प्रदर्श–**P-3/PW4**

ख. बचाव

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	प्रस्तुत नहीं किया गया	

ग. न्यायालय

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

घ. वस्तु प्रदर्श

क0 सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपर वर्णित अभियुक्त विनोद तोपनो उर्फ डेविड, पवन गोप एवं भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया का विचारण धारा–376(F), 3(5) बी0 एन0 एस0 2023 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अपराध के आरोपों के लिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी सूचक जितेश कुमार सिंह के टंकित आवेदन के आधार पर इस प्रकार है कि वे VKS Infrastructure pvt ltd में साईट इन्चार्ज के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही संवेदक शिव कुमार साहु के भी ठेकेदारी कार्यों का देख–रेख करता हूँ। संवेदक शिव कुमार साहु का केतारी मांड़ से सोनपुरगढ़ तक सड़क कार्य प्रगति पर है। सड़क का कालीकरण हेतु बीते कल दिनांक–27–11–2024 को संध्या करीब 05:00 बजे के बीच एक पेबर मशीन एवं दो रोड रोलर मशीन को केतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ जाने वाले रास्ते में केतारी मोड से 0.5 कि0 मी0 की दूरी पर बसंत मुण्डू के घर के समीप लाया गया था तथा तीनों मशीन को सड़क किनारे रखा गया था। आज दिनांक–28–11–2024 को सुबह 05:15 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि एक रोड रोलर मशीन में अज्ञात अपराधकर्मियों/उग्रवादियों द्वारा आग लगा दिया गया है। इस सूचना पर मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि एक पेबर मशीन एवं एक रोड रोलर सुरक्षित हैं, किन्तु एक Hamm Vibratory Soil Compactor (रोड रोलर) जिसका मशीन सिरियल नम्बर–WHBOH216PG0001680, इंजन सिरियल नम्बर–84337053 जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें किसी अज्ञात अपराधकर्मियों/उग्रवादियों द्वारा आग लगा दिया गया है। आस–पास के स्थानीय लोगों से पूछ–ताछ करने पर पता चला कि यह घटना आज दिनांक–28–11–2024 की रात्रि करीब 02:00 बजे पूर्वाहन का है।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर तोरपा थाना कांड संख्या 69/2024, दिनांक–28–11–2024, धारा–376(F), 3(5) बी0 एन0 एस0 2023 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ जिसका अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी ने किया और घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. दिनांक–10–04–2026 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–376(F), 3(5) बी0 एन0 एस0 2023 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन कर आरोप का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्तगण ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं विचारण का दावा किया है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1. प्रेमचंद टोप्पे, अभियोजन साक्षी संख्या 2. कार्तिक कुमार साहू, अभियोजन साक्षी संख्या 3. अब्दुल रेहमान एवं अभियोजन साक्षी संख्या 4. जितेश कुमार सिंह का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है।

6. अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दिनांक–13–07–2026 को दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. अब निर्धारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतब्य

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. प्रेमचंद टोप्पो ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 27.11.2024 की है। उक्त तिथि को वे हवलदार के पद पर तोरपा थाना में पदस्थापित थे। दिनांक 28.11.2024 को उन्हें सूचना मिली की बीते दिनांक 27.11.2024 को केतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था जहां पर कुछ अज्ञात उग्रवादियों द्वारा रोड़ निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले मशीन जिसमें दो रोड़रॉलर एवं एक पेबर मशीन को जला दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ हमलोग घटनास्थल पर पहुंचे और देखे कि उग्रवादियों द्वारा रोड़ निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले मशीन जिसमें दो रोड़रॉलर एवं एक पेबर मशीन को जला दिया गया है। जिसके बाद घटनास्थल पर बरामद जले हुए सामानों के संबंध में विधिवत जप्ती सूची प्रभात रंजन पाण्डे के द्वारा बनाई गयी जिस पर स्वेच्छा से उसने भी अपना हस्ताक्षर किया है, जिसे पहचानते हैं, जिसे **प्रदर्श–P1/PW1** अंकित किया गया है। जप्त जला हुआ दो रोड़रॉलर मशीन का जिम्मेनामा प्रभात रंजन पाण्डे द्वारा बनाया गया जिस पर उनका भी हस्ताक्षर है जिसे पहचानते हैं जिसे **प्रदर्श–P2/PW1** अंकित किया गया है। अभियुक्त पवन गोप को वी0 सी0 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अन्य अभियुक्त भूषण मुण्डा एवं बिनोद टोपनो आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि वे आग लगाते किसी को नहीं देखे थे। रोडरॉलर और पेबर मशीन में

आग कैसे लगा इसकी व्यक्तिगत जानकारी उन्हें नहीं है। वे पवन गोप को नहीं पहचानते हैं। उन्हें इस केस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. कार्तिक कुमार साहू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घ टना दिनांक 27.11.2024 की है। दिनांक 28.11.2024 को उन्हें सूचना मिली की बीते दिनांक 27. 11.2024 को केतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था जहां पर कुछ अज्ञात उग्रवादियों द्वारा रोड़ निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले मशीन जिसमें दो रोड़रॉलर एवं एक पेबर मशीन को जला दिया गया है। अगले दिन वे घटनास्थल पर पहुंचे और देखे की उनके कम्पनी द्वारा रोड़रॉलर मशीन एवं पेबर मशीन को जला दिया गया। घटना के संबंध में जितेश कुमार द्वारा टंकित आवेदन दिया गया। जितेश कुमार सड़क निर्माण स्थल पर मुंशी का काम करता है। अभियुक्त पवन गोप को वी0 सी0 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अन्य अभियुक्त भूषण मुण्डा एवं बिनोद टोपनो आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि वे आग लगाते नहीं देखे थे। इस केस के किसी भी अभियुक्त को वे जानते पहचानते नहीं हैं। उन्हें इस केस के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पुलिस उनसे किसी प्रकार कि कोई पूछताछ नहीं की थी। उन्हें आज तक पता नहीं चला की क्या घटना घटी थी।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3. अब्दुल रेहमान ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 27.11.2024 की है। दिनांक 28.11.2024 को उन्हें सूचना मिली की बीते दिनांक 27.11. 2024 को केतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था जहां पर कुछ अज्ञात उग्रवादियों द्वारा रोड़ निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले मशीन जिसमें दो रोड़रॉलर एवं एक पेबर मशीन को जला दिया गया है। अगले दिन वे घटनास्थल पर पहुंचे और देखे की उनके कम्पनी द्वारा रोड़रॉलर मशीन एवं पेबर मशीन को जला दिया गया। घटना के संबंध में जितेश कुमार द्वारा टंकित आवेदन दिया गया। जितेश कुमार सड़क निर्माण स्थल पर मुंशी का काम करता है। अभियुक्त पवन गोप को वी0 सी0 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अन्य अभियुक्त भूषण मुण्डा एवं बिनोद टोपनो आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि वे आग लगाते नहीं देखे थे। इस केस के किसी भी अभियुक्त को वे जानते पहचानते नहीं हैं। उन्हें इस केस के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पुलिस उनसे किसी प्रकार कि कोई पूछताछ नहीं की थी। उन्हें आज तक पता नहीं चला की क्या घटना घटी थी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 4. जितेश कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2024 की है। उक्त तिथि को वे मुंशी के पद पर रोड़ निर्माण कंपनी में पदस्थापित थे। उनकी कंपनी द्वारा कतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ तक रोड़ निर्माण का कार्य चल रहा था। शाम होने पर वे लोग सभी अपने–अपने घर चले गए जिसके बाद अगले दिन पता चला कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रोड़ निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले रोड़ रॉलर एवं पेबर मशीन को आग लगाकर जला दिया। वे सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और देखे की रोड़ रॉलर एवं पेबर मशीन को जला दिया गया है। जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर आकर मुझसे पूछताछ की जिसके बाद उनके कहे अनुसार टंकित आवेदन थाना में दिया गया जिस पर उनका हस्ताक्षर है, जिसे पहचानते हैं, जिसे **प्रदर्श–P3/PW4** अंकित किया गया है। आज अभियुक्त पवन गोप को वी0 सी0 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अन्य अभियुक्तगण आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उन्हें आज तक यह पता नहीं चला कि वाहनों पर आग कैसे लगी थी। वे इस केस के किसी भी अभियुक्त को जानते पहचानते नहीं हैं तथा वी0 सी0 के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को भी नहीं पहचानते हैं। उसने यह केस अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कराया था और उन्हें आज तक पता नहीं चला की रोड़ रॉलर और पेबर मशीन पर आग कैसे लगा था।

12. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1. प्रेमचंद टोप्पो अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि उसने आग लगाते किसी को नहीं देखे थे। रोडरॉलर और पेबर मशीन में आग कैसे लगी, इसकी व्यक्तिगत जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें इस केस की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 2. कार्तिक कुमार साहू अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि उन्हें इस केस के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पुलिस उनसे किसी प्रकार कि कोई पूछताछ नहीं की थी। उन्हें आज तक पता नहीं चला की क्या घटना घटी थी। अभियोजन साक्षी संख्या 3 अब्दुल रेहमान अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि उन्हें इस केस के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पुलिस उनसे किसी प्रकार कि कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन साक्षी संख्या 4. जितेश कुमार सिंह हैं जो इस मामले के सूचक हैं। यह साक्षी साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करते

हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि उन्हें घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उन्हें आज तक यह पता नहीं चला कि वाहनों पर आग कैसे लगी थी। वे इस केस के किसी भी अभियुक्त को जानते पहचानते नहीं हैं। उसने यह केस अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कराया था और उन्हें आज तक पता नहीं चला की रोड़ रॉलर और पेबर मशीन पर आग कैसे लगा था। इस वाद में अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने रोड रॉलर एवं पेबर मशीन पर अभियुक्तगण को आग लगाते हुये नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी संख्या 4. जितेश कुमार सिंह जो इस मामले के सूचक हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उन्हें आज तक पता नहीं चला की रोड़ रॉलर और पेबर मशीन पर आग कैसे लगा था। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण उग्रवादी संगठन का सदस्य रहा है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप सभी संदेहों से परे प्रमाणित नहीं होता है।

13. मैंने अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात् मैं पाती हूँ कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः मैं पाती हूँ कि **अभियुक्त विनोद तोपनो उर्फ डेविड, पवन गोप एवं भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया को धारा–376(F), 3(5) बी0 एन0 एस0 2023 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट** के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में **अभियुक्त विनोद तोपनो उर्फ डेविड, पवन गोप एवं भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया** को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त विनोद तोपनो उर्फ डेविड एवं भूषण मुण्डा उर्फ मुखिया जमानत पर है, अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। अभियुक्त पवन गोप न्यायिक अभिरक्षा में है। कार्यालय उसकी मुक्ति हेतु अविलंब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0 / –
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–21.07.2026

लेखापित

ह0 / –
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–21.07.2026